रजिस्ट्री सं० डी० (डी)-73 REGISTERED No. D.(D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 20, 1979/ पौष 30, 1900
No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 20, 1979/PAUSA 30, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1978

सा० का० नि० 72.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय विधि सेवा नियम, 1957 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय विधि सेवा (तृतीय संशोधन) नियम, 1978 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय विधि सेवा नियम, 1957 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में, खण्ड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ङ) 'अर्हित विधि-व्यवसायी' से अभिप्रेत है—

(1) श्रेणी 2 में ड्यूटी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के सम्बन्ध में, कोई ऐसा अधिवक्ता या प्लीडर जिसने उस रूप में कम से कम तेरह वर्ष व्यवसाय किया है, या मुम्बई या कलकत्ता उच्च न्यायालय का अटर्नी, जिसने इस रूप में कम से कम ग्यारह वर्ष व्यवसाय किया है या ऐसे अटर्नी और अधिवक्ता के रूप में कुल मिला कर कम से कम ग्यारह वर्ष तक व्यवसाय किया है ;

(2) श्रेणी 3 में ड्यूटी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के सम्बन्ध में, कोई अधिवक्ता या प्लीडर जिसने उस रूप में कम से कम दस वर्ष व्यवसाय किया है, या मुम्बई या कलकत्ता उच्च न्यायालय का अटर्नी जिसने उस रूप में कम से कम आठ वर्ष व्यवसाय किया है या ऐसे अटर्नी और अधिवक्ता के रूप में कुल मिलाकर कम से कम आठ वर्ष तक व्यवसाय किया है ;

(3) श्रेणी 4 में ड्यूटी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के संबंध में, कोई अधिवक्ता या प्लीडर, जिसने उस रूप में कम से कम सात वर्ष व्यवसाय किया है, या मुम्बई या कलकत्ता उच्च न्यायालय का अटर्नी, जिसने उस रूप में कम से कम पांच वर्ष व्यवसाय किया है या ऐसे अटर्नी और अधिवक्ता के रूप में कुल मिलाकर कम से कम पांच वर्ष व्यवसाय किया है ;"

Stationary Office and Regional Stationery Depots under the Controller of Stationery (Ministry of Works and Housing), namely :—

1. (i) These rules may be called the Government of India Stationery Office and Regional Stationery Depots (Class III Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1978.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. *In the Schedule to the Government of India Stationery* Office and Regional Stationery Depots (Class III Posts) Recruitment Rules, 1974 against item No. 8 under Column 11, the following entries shall be inserted, namely :—

Promotion

(i) 75 per cent by promotion of Lower Division Clerks with 8 years' service in the grade on the basis of seniority-cum-fitness.

(ii) 25 per cent promotion through a departmental competitive written test limited to Lower Division Clerks with five years' service in the grade.

[No. A-12023/1/76-Sty.]

USHA NIGAM, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1978

सा० का० नि० 93.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, आकाशवाणी (श्रेणी 3 पद) भर्ती नियम, 1964 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी (श्रेणी 3 पद) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियम, 1978 कहा जायेगा ;

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (श्रेणी 3 पद) भर्ती नियम, 1964 में, "(श्रेणी 3 पद)" कोष्ठकों, संख्या और शब्दों, जहां कहीं भी ये हों, के स्थान पर "समूह 'ग' शब्द और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं० 12019/10/78-बी० (ए०)]

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 26th December, 1978

G.S.R. 93.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class III Posts) Recruitment Rules, 1964, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class III Posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the All India Radio (Class III Posts) Recruitment Rules, 1964, for the brackets, figure and the words "(Class III Posts)", wherever they occur, the word and letter "Group 'C' " shall be substituted.

[No. 12019/10/78-B(A)]

सा० का० नि० 94.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयाग करते हुए, राष्ट्रपति, आकाशवाणी (श्रेणी 1 पद) भर्ती नियम, 1963 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी (श्रेणी 1 पद) भर्ती (चौथा संशोधन) नियम, 1978 कहा जायेगा ;

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (श्रेणी 1 पद) भर्ती नियम, 1963 में, (श्रेणी 1 पद) "कोष्ठकों, संख्या और शब्दो, जहां कहीं भी ये हों, के स्थान पर "समूह 'क' " शब्द और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं० 12019/8/78-बी०(ए०)]

G.S.R. 94.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class I Posts) Recruitment Rules, 1963, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class I Posts) Recruitment (Fourth Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the All India Radio (Class I Posts) Recruitment Rules, 1963, for the brackets, figure and the words "(Class I Posts)", wherever they occur the words and letter "Group 'A' " shall be substituted.

[No. 12019/8/78-B(A)]

सा० का० नि० 95.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, आकाशवाणी (श्रेणी 2 पद) भर्ती नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1 (1) इन नियमों को आकाशवाणी (श्रेणी 2 पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1978 कहा जाएगा ;

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (श्रेणी 2 पद) भर्ती नियम, 1962 में "(श्रेणी 2 पद)" कोष्ठकों, संख्या और शब्दों, जहां कहीं भी ये हों, के स्थान पर "समूह 'ख'" शब्द और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं० 12019/9/78-बी० (ए०)]

एम० एल० टण्डन अवर सचिव

G.S.R. 95.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class II Posts) Recruitment Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class II Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the All India Radio (Class II Posts) Recruitment Rules, 1962, for the brackets, figure and the words "(Class II Posts)", wherever they occur the word and letter "Group 'B' " shall be substituted.

[No. 12019/9/78-B(A)]

M. L. TANDON, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1978

सा० का० नि० 96.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के कार्यालय में (चतुर्थ श्रेणी पद) भर्ती नियम, 1966 में आगे संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार का कार्यालय (चतुर्थ श्रेणी पद) भर्ती में (संशोधन) नियम 1978 कहा जायेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।